ग्रामीण सेवा शिविर-2025 234/25

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ..... करूकला .....

दिनांक :– 27/9/25

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... करूकला ..... व भू–अभिलेख निरीक्षक ..... उमरा ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कपासन**की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... करूकला ..... तहसील **कपासन** जिला **चित्तौड़गढ़**की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी [illegible] (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 182, 205, 206 ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	करूकला	182 205 206 236	प्रदीप कुमार पुत्र उन्हल लाल सा. आकोला	प्रदीप कुमार पुत्र उन्हल लाल सा. देह

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :– 27/09/25

क्रमांक/ .....

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, ...को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़